प्र.सं. 12/23 गमेरचन्द व अन्य बनाम चेनराम के बजाय श्रीमती भंवरीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक चेनराम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वत्व, आधिपत्य एवं संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिनका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में होकर परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 1674 व 1675 कुल किता 2 रकबा 0.5100 हैक्टर में वादी का 3/4 हिस्सा एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का है। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 639 रकबा 0.2200 हैक्टर में वादी का 1/3 हिस्सा एवं शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का है। परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 1594, 1595, 1662, 1663, 1664, 1665 कुल किता 6 रकबा 0.8900 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का है। पक्षकारान इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोगे–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि शहर के नजदीक होने से उनकी कीमत बढ़ जाने से सीमा बन्दी को लेकर पक्षकारों में मन मुटाव होता है, जिसके भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान में मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.12.2022 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल डांगी, उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के होकर कानून का ज्ञान नहीं है। अपीलान्ट संख्या 8 [illegible] दो पेशियों में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:46 IST
Reason: SelfAttested

हाजिर हुए, उसके बाद वकील साहब ने कहा कि हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है इस कारण अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्ट संख्या 1 की तामील विधिवत नहीं हुई है, इस कारण जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार जवाबदावा लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज खाते अनुसार ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी को जबाव हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि अपीलान्टगण एकपक्षीय कार्यवाही को दोतरफा करने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को दोतरफा करने का निवेदन कर सकते थे, किन्तु अपीलान्टगण द्वारा ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपील प्रस्तुत की है। चूंकि दावा विभाजन का है और इसमें दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 40/2020 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.12.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.08.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:46 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:46 IST
Reason: SelfAttested